उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या-141/2021/1021सा0/23-1-21-53सा0/08
लखनऊ:: दिनांक 17 जून, 2021

अधिसूचना

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं-737/20रो0ए0मै0खं0/20, दिनांक 27.05.2021 द्वारा खनवारी-आलापुर-सिराथू-धाता मार्ग को राज्य मार्ग श्रेणी में उच्चीकृत/परिवर्तित किये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्गों की श्रेणी को उच्चीकृत करते हुए राज्य मार्ग श्रेणी में परिवर्तित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की वर्तमान श्रेणी	सड़क भूमि की चौड़ाई (मी0 में) खुले भाग में/रिहायसी भाग	लम्बाई (कि0मी0 में)	परिवर्तन हेतु मार्ग की श्रेणी	राज्य मार्ग संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रतापगढ़/ कौशाम्बी	खनवारी-आलापुर-सिराथू-धाता मार्ग	अन्य जिला मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग/सेतु/राष्ट्रीय मार्ग(उभय निष्ठ भाग)	40/10	44.830	राज्य मार्ग	SH174

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

संख्या-141/2021/1021सा(1)23-1-21-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5. संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
6. निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।